



जनपद हमीरपुर

थाना-सुमेरपुर

दिनांक 04.05.2026

जिलाबदर की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना सुमेरपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्त का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- योगेन्द्र यादव पुत्र राकेश यादव निवासी दूध डेरी के पास थाना सुमेरपुर ,जनपद हमीरपुर, दिनांक 17.04.2026 से 06 माह ।